



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 बैशाख, 1945 (श०)

संख्या - 14 राँची, बुधवार

26 अप्रैल, 2023 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ	पृष्ठ
भाग 1 —नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 132-134 और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	भाग-4 —झारखण्ड अधिनियम
भाग 1-क —स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	भाग-5 —झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।
भाग 1-ख —मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	भाग-7 —संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।
भाग 1-ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	भाग-8 — भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा	भाग-9 — विज्ञापन ---
भाग-2 —झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	भाग-9-क —वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं
भाग 3 —भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गजट' और राज्य गजटों से उद्धरण।	भाग-9-ख —निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।
	पूरक-- ...
	पूरक "अ" ...

भाग 1**नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ**

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

17 मार्च, 2023

संख्या-04/नि०सं०-12-98/2015 का.1600--श्री प्रदीप कुमार महतो, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-309/20), अंचल अधिकारी, नारायणपुर, जामताड़ा द्वारा उपभोग किए गये अवकाश अवधि दिनांक 20.11.2021 से 23.01.2022 तक (कुल 65 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230, 248 के तहत उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के उप सचिव।

श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

25 अप्रैल, 2023

संख्या-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-II) श्र.नि.-755—श्री रमेश प्रसाद सिंह श्रम अधीक्षक, पाकुड़ को अपने कार्यों के अतिरिक्त सहायक श्रमायुक्त, साहेबगंज एवं सहायक श्रमायुक्त, कृषि श्रमिक, दुमका का प्रभार दिया जाता है ।

संख्या-01/स्था.श्र.नि.प्र.-2037/2010(खण्ड-II) श्र.नि.-756—श्री रंजित कुमार, श्रम अधीक्षक, धनबाद-1 अतिरिक्त प्रभार श्रम अधीक्षक, कृषि श्रमिक धनबाद को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्रम अधीक्षक, धनबाद-2 एवं सहायक श्रमायुक्त, धनबाद का प्रभार दिया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रेज्युस बाढ़,
सरकार के उप सचिव ।
